न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द, आर.ए.एस

अपील सख्या 74/2012 223 आरटीए

सावित्री देवी पत्नि शंकरलाल जाति जाट निवासी वार्ड नं0 4, थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

––अपीलांट

बनाम

माया देवी पत्नि श्री बूटाराम पुत्री शंकर लाल जाति जाट निवासी ममेरां कलां तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरि0)

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
दिनांक 11.04.2011

उपस्थितिः–

श्री छगनलाल सिडाना, अभिभाषक अपीलांट
श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांकः– 28.02.2019

Web Copy Not Official

संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि वादीया/रेस्पोडेन्ट ने एक वाद न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीया के नाम चक 1 ए बारानी के खाता संख्या 201/50 में कु 2.505 है अनकमाण्ड भूमि दर्ज है, यह भूमि वादीया को घरू बंटवारा में काश्त के लिए दी हुई थी जिसपर वादीया अर्सा कदीम से काबिज रहकर काश्त करती आ रही है, वादीया ही उक्त आराजी की रकम राज खजाना राज में जमा करवाती आ रही है, वादीया उपरोक्त आराजी की खातेदार काश्तकार है। अतः घोषणा फरमाई जावे कि वादीया उक्त आराजी की खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीया का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे। प्रतिवादीया/अपीलांटा ने उपस्थित होकर दिनांक 11.4.2011 को वाद के तथ्यों को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया।

2. अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.04.2011 को वादीया का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट/ प्रतिवादीया ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि रेस्पोडैन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत करने पर अपीलांट की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 15.04.2011 मुकर्रर की गई थी व तारीख पेशी से पूर्व ही बिना किसी प्रार्थना पत्र के दिनांक 11.04. 2011 को पत्रावली पेशी मे ले ली गई। अपीलांट कभी भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आई व न ही कोई राजीनामा प्रस्तुत किया बल्कि रेस्पोडैन्ट द्वारा अपीलांट के खाली कागजों पर लगाये हुए अंगूठों का दुरूप्रयोग कर राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। अभिकथित राजीनामा अगर अपीलांटा स्वयं द्वारा प्रस्तुत किया जाता तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजीनामा विधिवत् तस्दीक नही किया गया है व विधिवत् तस्दीक किये बिना राजीनामा को विधिसम्मत् व विधिमान्य नही माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा को देखने मात्र से ही सन्देहास्पद साबित होता है व ऐसे राजीनामा के आधार पर पारित किया गया निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की बहस है कि अपीलांटा स्वयं द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया है व इसी राजीनामा के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई है तथा सहमति के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपील नही हो सकती, यदि राजीनामा को फाड अथवा किसी भी आधार पर चुनौती दी जाती है तो उसी न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश किया जा सकता, लेकिन अपीलांटा ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नही किया। अपील अपीलांट सर्वथा मियाद बाहर है तथा अपील पोषणीय भी नही है। विद्वाव अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट ने अपनी बहस के कथनों के समर्थन में 2014(1) सिविल कोर्ट केसिस पेज 538, 2011(3) सिविल कोर्ट केसिस पेज 673, 2015(1) सिविल कोर्ट केसिस पेज 207, 2016(1) सिविल कोर्ट केसिस पेज 477 पर

Web Copy - Not Official

प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये व अपील खारिज फरमाने का निवेदन किया।

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया व विद्वाव अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्यनन किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांटा के नाम दर्ज थी व अपीलांट के नाम दर्ज भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतू रेस्पोडैन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 01.04.2011 को वाद दर्ज किया जाकर दिनांक 15.04.2011 को तलबी हेतु निर्धारित किया गया और उस निर्धारित तिथि से पूर्व 11.04.2011 को पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत होना एवं राजीनामा के आधार पर उसी दिन डिक्री किया गया। पक्षकारान की ओर से 11.04.2011 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया है परन्तु वह राजीनामा तस्दीक नहीं किया गया है। यह तथ्य सही है कि राजीनामा के आधार पर डिक्री हुआ है और उसी आधार पर पारित डिक्री को अपीलाण्ट द्वारा यह कहते हुए चैलेंज किया गया है कि रेस्पोडेण्ट जोकि अपीलांट की पुत्री है ने सफेद कागजों एवं कुछ छपे हुए कागजों पर अंगूठा निशानी यह कहकर करवा लिए कि बैंक खाता राशि भरी जानी है एवं खाते का नवीनीकरण कराया जाकर लिमिट बढानी है। सगी पुत्री ने अंगूठा निशानी लगाये गये कागजों का दुरूपयोग कर राजीनामा तैयार कराया है। उन्होंने अपीलाण्ट द्वारा राजीनामा को फर्जी और कूट रचित बताते हुए उसके आधार पर पारित डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया है। इतने कम समय में एवं निर्धारित तिथि से पूर्व दावा दर्ज होकर राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रकरण में वकील रेस्पोडेण्ट ने न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं उसके अनुसार ये सही है कि कंसेंट डिक्री की अपील नही की जा सकती तथा इन्हीं कानूनी दृष्टान्तों में ये भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि राजीनामा को फर्जी एवं कूटरचित बताते हुए आपत्ति की की जाती है तो उसी न्यायालय में आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिये जिसके द्वारा राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित की गई है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है, माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सीपीसी के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायोचित होगा कि राजीनामा के सम्बन्ध में जो आपतितयों की गई हैं उसे विचारण न्यायालय में ही निस्तारण किया जाना अपेक्षित है तथा आपत्तियों को नियमानुसार परीक्षण करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को विचारण न्यायालय को लोटाया जाना उचित है। जब तक विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामे की आपतितयों का निस्तारण नहीं किया जावे तब तक वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखा जाना उचित है।

8. अतः प्रकरण विचररण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजीनामा के सबंध में उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण कर पुनः नियमानुसार डिक्री पारित की जावे तब तक वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लोटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

28/2/19

मूल चन्द (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official